डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-: वादीगणः- **बनाम** **-: प्रतिवादीगण :-**

रावत पुत्र अल्पू के कायम मुकाम
1. दाखुडी बेवा रावत (फौत) DELETE
2. रतनाराम पुत्र रावत
3. सुखडी पुत्री रावत
जाति कुमावत निवासी कावलिया तह. जैतारण

1. भंवरू पुत्र लादूजी के कायम मुकाम
1/1 नैनी पत्नि भंवरू (फौत) DELETE
1/2 सत्यनारायण पुत्र भंवरू
1/3 खींया पुत्र भंवरू
1/4 पुसी पुत्री भंवरू DELETE
2. मदन पुत्र बालूसिंह
3. मनोहरकंवर पत्नि बालूसिंह जाति पुरोहित फौत के का.मु. प्रति संख्या 2 निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 03/2019(117/1992)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा. का. अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई शिवरतन भण्डारी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया में स्थित खसरा संख्या 754 मी. रकबा 20 बीघा में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण स्वयं, उनके नौकर चाकर, हाली, एजेन्ट इत्यादि वादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग की भूमि बाधा उत्पन्न करने व दखलदांजी नहीं करें।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28.11.2024** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	7.00		स्टाम्प वकालतनामा	4.00	
स्टाम्प वकालतनामा	2.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	8.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजानः-	17.00		मिजानः-	4.00	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।